न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

रसद आवेदन पत्र संख्या 62/2015

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक,बाड़मेर

बनाम्

अप्रार्थीगण
1भैरसिंह पुत्र रानसिंह वाहन
मालिक वाहन संख्या आरजे04
जीए3907 निवासी सर का पार
बान्दरा तहसील बाड़मेर
3.गणेश कुमार पुत्र चैनाराम
जाति जाट निवासी बायतु
भोपजी तहसील बायतु

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

रसद आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए)आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955

उपस्थितः–1.श्री दौलतराम अभियोजन अधिकारी,बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।
2.श्री डूंगरसिंह महेचा अधिवक्ता अप्राथी संख्या 01 की ओर से।
3.अप्रार्थी संख्या 02 एक तरफा।

निर्णय दिनांक 23.05.2018

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.10.2015 को थानाधिकारी पुलिस थाना बायतु द्वारा जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को दूरभाष पर सूचना दी गई कि आज दिनांक 10.10.2015 समय 03.30 एएम पर बोलेरो केम्पर संख्या आरजे 04/जीए 3907 में लोहे के चार ड्रमो में नीला केरोसीन भरा हुआ था जो चवा रोड बायतु में खडी पाई गई तथा मौके पर रात्रि गश्त दौरान हैड कॉस्टेबल मय पुलिस जाब्ता पुलिस थाना बायतु को देखकर उक्त बोलरो केम्पर का वाहन चालक रात्रि का फायदा उठाकर फरार हो गया तथा पुलिस टीम द्वारा वाहन चालक की खोजबीन करने पर नहीं मिला। वाहन बेलेरो आरजे 04/जीए 3907 में नीला केरोसीन से भरे हुए लोहे के चार ड्रमों का अवैध परिवहन पाये जाने के कारण कब्जे में लिया जाकर आवश्क कार्यवाही हेतु निवेदन किये जाने पर श्री नरसिंगाराम नायब तहसीलदार एंव कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक बायतु व श्री खेमाराम प्रवर्तन निररीक्षक बालोतरा दिनांक 10.10.2015 को पुलिस थाना बायतु जॉच हेतु पहुॅचने पर मौके पर पुलिस थाना बायतु में वाहन बोलेरो केम्पर संख्या आरजे 04/जीए 3907 में लोहे का चार ड्रम जिनका रंग फिका,लाल भरे हुए रखे पाये,प्रत्येक ड्रम को खोलकर उसमे भरे तरल पदार्थ को कांच की जार में देखने,सूंघने व जॉच करने पर नीला केरोसीन होना पाया गया। उक्त लोहे के चार ड्रमों में गेज डालकर नापने पर ड्रमो में कमशः 190 लीटर,205 लीटर,195 लीटर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

व 198 लीटर कुल 788 लीटर नीला करोसीन चार ड्रमो में भरा होना पाया गया। बरामद नीला केरोसीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानो के मार्फत उपभोक्ताओ को वितरण किये जाने वाला होने,अवैध परिवहन करने,कब्जे में,रखे पाये जाने,खाना पकाने एंव प्रदीपन से भिन्न उपयोग का संदेह होने पर केरोसीन (उपयोग एंव निर्बधन और अधिकतम किमत नियतन) आदेश 1993 व राजस्थान खाधान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन होने के फलस्वरूप 788 लीटर केरोसीन मय ड्रमों का निस्तारण करने हेतु प्रार्थी ने यह आवेदन पत्र धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव बरामद केरोसीन का अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह महेचा उपस्थित हुए जिन्होने जवाब पेश कर आवेदन के पद संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार किया है एंव आवेदन के पद संख्या 02 से 04 अप्रार्थी से संबंधित नहीं होने एंव पद संख्या 05 नें वाहन का रजिस्टर्ड मालिक पूर्व मे अप्रार्थी भैरसिंह होने एंव घटना से पूर्व ही अप्रार्थी द्वारा अपना वाहन गणेश कुमार के नाम से ट्रांसफर होने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध दर्ज प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया। इस पर अप्रार्थी के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर गणेश कुमार पुत्र चैनाराम को अप्रार्थी पक्षकार बनाया जाकर वास्ते सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 02जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होने के उपरान्त उपस्थित नहीं हुआ,फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी बाड़मेर का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा नीले रंग का केरोसीन कालाबाजारी में बेचने की नीयत से अवैध रूप से वाहन में परिवहन किया जा रहा था। वक्त बरामदगी अप्रार्थी के पास केरोसीन रखने एंव परिवहन करने का कोई वैध लाइसेंस एंव परमिट नहीं पाया गया। इसलिये बरामद केरोसीन को जब्त सरकार किया जाए और वाहन मालिक पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थी द्वारा बरामद केरोसीन अप्रार्थी का नहीं है। बरामद केरोसीन से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। केरोसीन जब्त किया जाता है, तो उन्हें कोई आपति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01, वाहन संख्या आरजे 04/जीए 3907 का रजिस्टर्ड मालिक नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त वाहन को गणेश कुमार पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी बायतु भोपजी को दिनांक 10.10.2015 से पूर्व ही बेचान कर दिया था।अप्रार्थी संख्या 01 ने राजस्थान खाधान एंव अन्य

जिला कलक्टर
बाडमेर

आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है। इसलिये अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6 ए आवश्यक अधिनियम की कर्यवाही समाप्त की जाए।

5. हमने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 01 से दिनांक 10.10.2015 को 788 लीटर नीले रंग का केरोसीन वाहन संख्या आरजे 04/जीए 3907 से परिवहन करते हुए बरामद किया गया है। इस केरोसीन तेल को रखने हेतु अप्रार्थी एंव वाहन से वक्त बरामदगी कोई अनुज्ञा पत्र एंव परमिट नहीं पाया गया। बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने बरामद केरोसीन उनका नहीं होने और केरोसीन जब्त किये जाने में कोई आपति नहीं होना जाहिर किया है। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वाहन से केरोसीन को कालाबाजारी में बेचने हेतु परिवहन किया जा रहा था। नीले रंग का केरोसीन उचित मूल्य की दुकान के मार्फत उपभोक्ताओं को वितरण किया जाता है। यह केरोसीन खुले बाजार में विक्रय नहीं किया जाता है। इस केरोसीन को केवल अनुज्ञाधारी व्यक्ति ही राशनकार्ड धारियो को विक्रय कर सकता है। राजस्थान खाघान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लाज 3 के सब क्लाज 2 के अनुसार अनुज्ञाधारी व्यक्ति के अलावा और कोई व्यक्ति नीले रंग के केरोसीन को न तो रख सकता है और न ही विक्रय कर सकता है। अप्रार्थीगण ने इस केरोसीन को अवैध परिवहन करने,कब्जे में रखे पाये जाने एंव खाना पकाने एंव प्रदीपन से भिन्न उपयोग कर केरोसीन (उपयोग एंव निर्बधन और अधिकतम किमत नियतन) आदेश,1993का उल्लंघन किया है, इसलिये प्रार्थी द्वारा बरामद किया गया 788 लीटर नीला केरोसीन चार ड्रम जब्त सरकार करने योग्य है।

6. पत्रावली पर उपलब्ध वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र के अवलोकन वाहन संख्या आरजे 04 जीए 3907 अप्रार्थी संख्या 02 गणेश कुमार पुत्र चैनाराम निवासी बायतु भीमजी के नाम दिनांक 07.01.2010 को पंजीकृत है। अप्रार्थी संख्या 02 के नाम उक्त वाहन पंजीकृत होने से अप्रार्थी गणेशकुमार जरिये नोटिस वास्ते सुनवाई हेत तलब किया गया। मगर अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित नहीं हुआ। इससे प्रकट है कि अप्रार्थी संख्या 02 को नोटिस स्वीकार है। अतः प्रार्थी द्वारा बरामद किया गया 788 लीटर नीला केरोसीन मय ड्रम के परिवहन हेतु अप्रार्थी सख्या 02 द्वारा वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 04 जीए 3907 उपयोग मे लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए)के उक्त परन्तुक का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या 02 गणेश कुमार पर 50000/–अक्षरे पचास हजार जुर्माना आरोपित किया जाता है। अप्रार्थी गणेश कुमार जुर्माना की राशि निर्णय तारीख के एक माह के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। एक माह की अवधि में राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से बरामद 788 लीटर नीला केरोसीन मय चार ड्रमो को राजसात (CONFISCATE) किया जाता है। चूँकि बरामद 788 लीटर केरोसीन मय ड्रमों का अन्तरिम निस्तारण किया जा चुका है। लिहाजा अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा हो।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर